10/6/24

पत्रावली पेश हुई. वकील वादी, वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादी को संशोधित उनवान हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये. अंतिम अवसर की दिया गया चुका है, बार बार आवाजें लगाई गई, उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम पैरवी/ अदम पैरवी में खारिज की जाती है. फैसल शुमार होकर नेगेटिव दे कम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर